


S.C.f  
₹ 5.00



नकल आवेक विपणन - 20/08/2023 भारत  
व्यापक 80 आर्थिकीयम इंटरनेट राजन  
सोदित - 2006 नुमेबर 2023/14290301551  
वाशिष्ठ मेमोरियल इन्टर क्लब लखनऊ  
- आगलक उपालेलाही नाली वाशिष्ठ  
तह जमानिया - गाजीपुर



नकल विपणन 03/04/2023 की क्षयापूर्ति पांच  
रुपये नकल आते पो के साथ सेलान है।

  
3/4/23



न्यायालय :- उपजिलाधिकारी  
मण्डल : वाराणसी जनपद : गाजीपुर, तहसील : जमानिया  
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या : T202314290301551  
वाद संख्या : 01561/2023  
वशिष्ट मेमोरियल ट्रस्ट बघरी प्रबन्धक अमरनाथ तिवारी बनाम उपप्रकार  
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 अंतर्गत धारा - 80  
अंतिम आदेश

आदेश तिथि - 30/03/2023

निर्णय

ग्राम बघरी परगना व तहसील जमानिया जिला गाजीपुर की खतीनी 1425 से 1430फ0 के खाता सं0 60 के आ0न0 85/1 रकबा 0.7655 हे0, 83/2, 84/2, 86/1, 88/2 व 87 रकबा 0.2530 हे0 कुल गाटा 6 कुल रकबा 1.0185 हे0 को अकृषिक प्रख्यापित कराने हेतु आवेदक अमरनाथ तिवारी पुत्र कृष्णानन्द तिवारी प्रबन्धक वशिष्ट मेमोरियल ट्रस्ट बघरी की तरफ से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन किया गया है। जिस पर तहसीलदार जमानिया द्वारा दिनांक 03.03.2023 को राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 22.03.2023 को अग्रसारित किया गया है उक्त आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि आ0न0 85/1 रकबा 0.7655 हे0, 83/2, 84/2, 86/1, 88/2 व 87 रकबा 0.2530 हे0 कुल गाटा 6 कुल रकबा 1.0185 हे0 पर कालेज का भवन बना है। आवेदक अमरनाथ तिवारी पुत्र कृष्णानन्द तिवारी साकिन बघरी द्वारा राजस्व संहिता की धारा 80 अन्तर्गत अकृषिक घोषणा हेतु प्रस्तुत ग्राम जलालपुर के आ0न0 85/1 रकबा 0.7655 हे0, 83/2, 84/2, 86/1, 88/2 व 87 रकबा 0.2530 हे0 कुल गाटा 6 कुल रकबा 1.0185 हे0 को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उक्त के आधार क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट दिनांक 03.03.2023 राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार जमानिया की आख्या दिनांक 03.03.2023 प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा गया कि ग्राम जलालपुर की खतीनी 1425 से 1430फ0 के खाता सं0 60 आ0न0 85/1 रकबा 0.7655 हे0, 83/2, 84/2, 86/1, 88/2 व 87 रकबा 0.2530 हे0 कुल गाटा 6 कुल रकबा 1.0185 हे0 पर वशिष्ट मेमोरियल ट्रस्ट बघरी जरिये प्रबन्धक अमरनाथ तिवारी पुत्र कृष्णानन्द तिवारी साकिन बघरी की खतीनी 1425 से 1430फ0 के खाता सं0 60 आ0न0 85/1 रकबा 0.7655 हे0, 83/2, 84/2, 86/1, 88/2 व 87 रकबा 0.2530 हे0 कुल गाटा 6 कुल रकबा 1.0185 हे0 पर चारों तरफ से चहारदिवारी बना है। बादी द्वारा निर्धारित सर्किल दर से उद्घोषणा शुल्क प्रतिशत तथा न्याय शुल्क 1 प्रतिशत कुल 2 प्रतिशत यानि 50600/- पच्चास हजार छः सौ मात्र भारतीय स्टेट बैंक शाखा जमानिया में चालान सं0 30 दिनांक 22.03.2023 की जमा कर चालान की प्रति, नजरी नक्शा, खतीनी व खसरा प्रस्तुत की गयी है। प्रश्नगत भूमि खाता सं0 60 के खातेदार की तरफ से अनापत्ति प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत वाद में प्रश्नगत भूमि ग्राम जलालपुर के आ0न0 85/1 रकबा 0.7655 हे0, 83/2, 84/2, 86/1, 88/2 व 87 रकबा 0.2530 हे0 कुल गाटा 6 कुल रकबा 1.0185 हे0 को राजस्व संहिता की धारा 80 के तहत कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जाने योग्य है।

अतः ग्राम जलालपुर के खतीनी 1425 से 1430फ0 के खाता सं0 60 के आ0न0 85/1 रकबा 0.7655 हे0, 83/2, 84/2, 86/1, 88/2 व 87 रकबा 0.2530 हे0 कुल गाटा 6 कुल रकबा 1.0185 हे0 को अन्तर्गत 80 के तहत राजस्व संहिता के अधीन गैर कृषिक कार्यों हेतु प्रख्यापित किया जाता है आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार जमानिया को एवं उप निबन्धक कार्यालय जमानिया को अनुप्रेषण हेतु भेजी जाय। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।



शब्द अगस्त 42

कृत प्रोपत्र सं-31

कृत अधिका 03/04/23

कृत धिका

दि 03/04/2023

*(Signature)*

अमरनाथ तिवारी  
सिस्ट प्रेशोकर  
कां030पि0 जमानिया  
गाजीपुर

03/04/23

*(Signature)* 30/03/2023

उपजिलाधिकारी जमानिया  
गाजीपुर।